राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1757/2025

सुनिता जुंगम —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा), जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बारां।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाड़ा जिला बारां।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 29.1.2025
आदेश की दिनांक : 11.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रखर गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाड़ा जिला बारां में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.03.2016 (अनुलग्नक—2) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान पर स्थानान्तरण किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टेपू, फलौदी में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 700 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी का पति भी राजकीय सेवा में नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाड़ा जिला बांरा में कार्यरत है (अनुलग्नक—4)। राज्य सरकार की सामान्य नीति रही है कि पति—पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर यथा संभव एक ही स्थान पर ही या आस—पास में रिक्त पद पर पदस्थापित रखा जावें। अपीलार्थी के दो छोटे बच्चे है। जिनकी उम्र क्रमशः 13 वर्ष एवं 8 वर्ष है, जो केलवाड़ में ही अध्ययनरत हैं। अपीलार्थी का मध्य सत्र में स्थानान्तरण करने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। अपीलार्थी के 85 वर्षीय वृद्ध सास—ससूर है। उनकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है। उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। उनका आगे कथन है कि वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाड़ा में नर्सिंग ग्रेड—II के 4 पद रिक्त है (अनुलग्नक—5)। उसके बावजूद भी अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है, जो अनुचित

एवं मनमाना है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को नर्सिंग अधिकारी पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाड़ा जिला बारां में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी नर्सिंग अधिकारी पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाड़ा जिला बारां में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टेपू, फलौदी में प्रशासनिक कारणों एवं लोकहित में किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर वर्ष 2016 से कार्यरत है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य